

क्रमांक संख्या	वृत्त या कार्यवाही का इतिहास	वृत्त व तारीख अथवा जो इस वृत्त तारीख से जारी हुए
1.2.26	<p>पत्रावली पेश की। वकील डा. श्री विजय पाराशर उपस्थित। डा. श्री वकील श्री विजय पाराशर द्वारा अधीन में के विरुद्ध कोविड नरी-बास्ते बास्ते के आधीना पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार कर अधीनमें को उदाहरित किया जावे। पत्रावली बास्ते 2, 3, 4, 5 की उपस्थिति का अवसर दिया जाकर दिनांक 18.02.2022 को पेश है।</p>	
18.2.26	<p>पत्रावली पेश की। वकील डा. श्री विजय पाराशर उपस्थित। पत्रावली बास्ते अधीनमें की उपस्थिति का अवसर दिया जाकर दिनांक 20.02.2022 को पेश है।</p>	
20.2.26	<p>पत्रावली पेश। अधीन में के वकील (1) व (2) उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने में बाधा है। पत्रावली बास्ते उदाहरित दिनांक 18/3/26 को पेश है।</p>	
18.3.26	<p>पत्रावली पेश की। वकील श्री एकपक्षीय बस्ते सुनी गई। अधीनमें स्वीकार किया जावे। विरुद्ध निर्णय अलग से लिया जाकर सा. वि. किया गया। पत्रावली केस में सुगा कर ही निर्णय लुके न्यायालय से सुनाया गया।</p>	

संरक्षक अधिकारी  
 पुलिस कर्मी, जिला-पीलवाड़ा

सूचना या कार्यवाही का इतिहास

18.01.2024 पत्रावली क्रमांक 371। वकील शर्मा जी विषय परामर्श उपस्थित। शर्मा वकील जी विषय परामर्श सुझाव अर्थात् संख्या 1 के विरुद्ध कार्यवाही नही-करते बल्कि केवल शर्मा पर पेश किया गया जिनके संख्या 1 का उलट किया जाये। पत्रावली संख्या 2, 3, 4, 5 की उपस्थिति का अर्थ दिया जाये दिनांक 18.01.2024 को पेश हो।

18.02.2024 पत्रावली क्रमांक 371। वकील शर्मा जी विषय परामर्श उपस्थित। पत्रावली वास्तव में अर्थात् संख्या की उपस्थिति का अर्थ अर्थ दिया जाये दिनांक 20.02.2024 को पेश हो।

20/01/24 पत्रावली क्रमांक 371। अर्थात् संख्या 3 व 4 (0) उपस्थित नही। इनके विरुद्ध (18/01/24) कार्यवाही का न होना चाहिए। पत्रावली वास्तव में दिनांक 18/01/24 को पेश हो।

18.02.24 पत्रावली क्रमांक 371। वकील शर्मा जी एडवोकेट बहाल सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये। विरुद्ध निर्णय अलग से लिया जाये। सा. वि. किया गया। पत्रावली केवल सुझाव अर्थात् निर्णय एवम् अर्थात् सुझाव